

**माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 02.07.2017 को प्रातः 10:00 बजे जिला लोक परिवाद समिति की मासिक बैठक में प्रस्तावित एजेंडे पर कार्यवाही रिपोर्ट**

क्र० स०	विभाग का नाम परिवादी का नाम	विभाग से प्राप्त जवाब	रिमार्कस
1	<p>जिला रजिस्ट्रार, सहकारी समितिया, गुडगांव, पत्र क्रमांक 596/परिवाद दिनांक 23.05.2016.</p> <p>पुलिस आयुक्त व सहायक रजिस्ट्रार गुरुग्राम द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है । (श्री पी० एल० सैनी, मकान नं० 397, सैक्टर 31, मंगल सैन मितल, मोबाईल न० 9810129318 गुडगांव एवं अन्य । )</p> <p>This is to bring in your notice that Sh. Anil sharma S/o Sh. S.C. Sharma R/o 9B, Arun Sharma S/o S.C. Sharma R/o 9A, Gangotri Enclave, Alaknanda, New Delhi also at E-5, Main road, Kalka Ji, New Delhi Tel. No. 01126220285/ 8287073500/7838905082 , B-51 Sukhdev Vihar, New Delhi and "Shantiniketan Co-Operative Group Housing Society Sector 52, Gh-1, Gurgaon (Builder)" and others have committed fraud, cheating, misappropriation of funds, breach of trust and dishonesty against the 98 members of "Shantiniketan Co-Operative Group Housing Society Sector 52, GH-1, Gurgaon". The accused persons have taken money from 130 members and have issued 130 share certificates whereas total flats available in the Society are only 98 and this is a grave misuse of hard earned money of the citizens of our country. It is to inform you that we have updated the records of the Co-Operative Group Housing Society Gurgaon and all the records of 130 members are with the said office. The societies are governed by rules of Co-Operative society Act 1984 and the solution is to conduct the elections of the society and resolve the issues of the said society but the said election being delayed the concerned officials of the Haryana Co-</p>	<p>पुलिस उपायुक्त पूर्व गुरुग्राम ने अपने पत्र क्रमांक 154/पी०डी०/डी०सी०पी०/पूर्व दिनांक 12.01.2017 द्वारा सुचित किया है कि प्रबन्धक थाना सुशान्त लोक, गुरुग्राम की रिपोर्ट अनुसार इस परिवाद के सम्बंध में अभियोग संख्या 25 दिनांक 5.01.2017 धारा 420, 467,468,471,120 बी० भा.द.स. थाना सुशान्त लोक गुरुग्राम में अंकित किया जा चुका है उपरोक्त अभियोग अनुसंधान आधीन है जिसकी तफतीस उपनिरीक्षक अरविन्द कुमार थाना सुशान्त लोक द्वारा अमल में लाया जा रहा है।</p> <p>सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां गुरुग्राम ने अपने पत्र क्रमांक /स्टैनो/सरग/1050 दिनांक 30.06.2017 द्वारा सुचित किया है कि समिति की आम सभा की बैठक 07.05.2017 को जिसमें समिति की प्रबन्धक कमेटी का चुनाव होना था। इस बैठक के विरुद्ध श्री अमित माटा, श्री पी.एल. सैनी (स्वयं शिकायतकर्ता )व अन्य बनाम उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितिया गुरुग्राम व अन्य के मामले में अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार सहकारिता विभाग, चण्डीगढ़ की अदालत ने Revision Petition No. 16 of 2017 दायर कर दी थी। इस अदालत ने दिनांक 07.05.2017 को होने वाली जो आम सभा की मितिग पर दिनांक 02.05.2017 का Stay आदेश दे दिया था । इस समिति दि शान्ति निकेतन सहकारी ग्रुप हाऊसिंग समिति लि० गुरुग्राम ने इ Stay आदेशो के विरुद्ध माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ में title CWP No- 9732 of 2017 दि शान्ति निकेतन सहकारी ग्रुप हाऊसिंग लि०</p>	<p>परिवादी उपस्थित है । अध्यक्ष महोदय ने सम्बन्धित विभागों की रिपोर्ट के अवलोकन एवं परिवादी को सुनने के पश्चात मामले को फाईल करते हुये आदेश दिये की मामला <b>Sub- Justice</b> होने के कारण उच्च न्यायालय में लम्बित है ।</p>

Operative Society Gurgaon for the best reason known to them. The complainants had requested that proper action against all accused persons under the provision of rules of the land. To lodge the FIR against the custodian of record of above said society. To do the needful for allowing AR to start election proceeding of the above said society. To pass any directions to the office of Co-Operative Group Housing Society so that Society can work further for its completion.

Smt. Nirmal Mangla (Through authorized Representative) and Dr. Kailash Chand Gupta R/o H.No. 368/12, Jawahar Nagar, New Railway Road, Gurgaon. & H.No. 290/13, Roshan Pura, Gurgaon. In this connection we want to bring it to your kind notice that the builder is ready to construct the society flats and all the members want their flats at the earliest except a few members who in their vested interest and reasons best known to them are creating hindrances. The motive behind hindrance could be indulgence of a third party (Behind the curtain) to capture the society which shall jeopardize the interest and their future at large of majority members who have put in their hard earned money.

- दिनांक 04.9.2016 को माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि सम्बन्धित विभाग की रिपोर्ट व शिकायतकर्ता / निर्माणकर्ता को सुनने कि पश्चात निर्देश दिये कि सोसायटी के मैम्बर इलैक्शन के लिये प्रस्ताव पास करके दे। तत्पश्चात विभाग द्वारा नियम अनुसार इलैक्शन करवाए जाए तथा नवीनतम स्थिति अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए।
- दिनांक 13.12.2016 को माननीय अध्यक्ष महोदय ने सहायक रजिस्ट्रार को-ओपरेटिव सोसायटी को निर्देश दिये कि 94 मैम्बरो की नाम वाईज डिटेल सूचना समाचार पत्रो मे इशतहार जारी करे तथा शिकायतकर्ता पुलिस मे दोषियो के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाये। शिकायत उपरान्त दोषियो के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज करके गिरफतार करे। उसके उपरान्त पुलिस रजिस्ट्रार को-आपरेटिव सोसायटी विभाग के अधिकारी/कर्मचारियो की सम्बन्धित केस मे भूमिका की जांच करके अगली माह की मिटिंग मे प्रस्तुत करे।

गुरुग्राम बनाम हरियाणा सरकार याचिका दायर कर दी गई तथा माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 05.05.2017 को अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, सहकारिता विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा दिये गये Stay दिनांक 02.05.2017 पर "जो आम सभा दिनांक 07.05.2017 को होनी थी," को जारी रखा तथा इस मिटिंग में होने वाली कार्यवाही को Kept in abeyance रखने का आदेश दिया। दिनांक 07.05.2017 को समिति की आम सभा की बैठक विधिवत रूप से हुई तथा इसमें समिति की प्रबन्धक कमेटी का चुनाव भी हो चुका है। अब यह पुरा मामला माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ व अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, सहकारिता विभाग, चण्डीगढ़ की अदालत में विचाराधीन है।

